हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176215

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176215

क्रमांकः हि०शि०बो०संबद्धता (38)/2025- 1689-1730 दिनांकः 19-09-2025

"अधिसूचना"

अधिसूचित किया जाता है कि सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9th से +2 की नवीनीकरण संबद्धता (Renewal Affiliation)/ कक्षा स्तरोन्नत (Up-gradation) एवं नई संबद्धता (fresh Affiliation) प्राप्त करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा निम्न प्रक्रिया अमल में लाई जानी है।

क्रमांक	संबद्धता प्रक्रिया	मास/तिथि
1.	बोर्ड कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों (तीन हिन्दी एंव तीन अंग्रेजी) के माध्यम से संबद्धता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र मंगवाये जाने बारे समाचार प्रकाशित किये जायेंगे।	मास सितम्बर, 2025
2.	निजी शिक्षण संस्थानों को अपने संबद्धता आवेदन बोर्ड कार्यालय में जमा करवाने होंगे।	31 अक्तूबर, 2025 तक
3.	बोर्ड कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों पर संस्थानों का निरीक्षण करवाया जायेगा।	30 नवम्बर, 2025 तक
4.	संस्थानों से प्राप्त आवेदनों/निरीक्षण पर पाई गई कमियों को बोर्ड कार्यालय द्वारा संस्थानों को सूचित किया जायेगा।	15 दिसम्बर, 2025 तक
5.	संस्थानों द्वारा कमियों की पूर्ति की जायेगी।	30 दिसम्बर, 2025 तक
6.	बोर्ड कार्यालय द्वारा संस्थानों के आवेदनों पर लिये गये निर्णय बारे सूचित किया जायेगा।	31 जनवरी, 2026 तक

संबद्धता हेतु Online आवेदन करने की तिथि 1st अक्तूबर, 2025 से 31st अक्तूबर, 2025 तक निर्धारित की गई है। संस्थानों को उक्त निर्धारित की गई तिथि के अन्तर्गत ही संबद्धता हेतु समस्त दस्तावेज Online ही बोर्ड द्वारा संबद्धता के लिए आवेदन करने हेतु दिये गए लिंक के माध्यम से Upload करने होंगे तथा संबद्धता शुल्क भी सभी आवेदनकर्ता संस्थानों द्वारा Online Payment Gateway के माध्यम से ही जमा करवाया जाना है, Offline/डाक के माध्यम से कोई भी संबद्धता आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। संस्थान Online आवेदन करने के पश्चात मूल दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर संस्थान इन्हें उपलब्ध करवा सके। संबद्धता से संबन्धित समस्त जानकारी विवरण पुस्तिका (Prospectus) में बोर्ड की बेवसाईट www.hpbose.org पर उपलब्ध है।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 9th-12th तक की संबद्धता प्रदान की जाती है, इसलिए बोर्ड कार्यालय द्वारा केवल कक्षा 9th से 12th तक की संबद्धता हेतु भेजे जाने वाले आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। संबद्धता प्राप्ति से पूर्व कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वाली हानि और उसकी भरपाई का वह स्वंय उत्तरदायी होगा।

अतः निजी शिक्षण संस्थान संबद्धता बारे आवेदन करने से पूर्व विस्तृत जानकारी हेतु Affiliation Rules and Regulations (Prospectus) का गहन अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि कौन-कौन से दस्तावेजों को संबद्धता आवेदन के साथ Online Upload किया जाना है उस बारे सही जानकारी मिल सके। Fresh/Up-gradation संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले संस्थान नियम 16.3.4 तथा Renwal/3-5 years की संबद्धता के लिए आवेदन

करने वाले संस्थान नियम 16.3.5 का अवश्य अध्ययन करें, क्योंकि उक्त अनुसार ही संबद्धता हेतु दस्तावेज Online Upload किये जाने हैं।

-Sd-

डॉ०(मेजर) विशाल शर्मा (हि.प्र.से.)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। दिनांकः 19-09-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. वरिष्ठ आशुलिपिका/आशुलिपिक माननीय अध्यक्ष हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड ।
2. कनिष्ठ आशुलिपिक माननीय सचिव हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड ।
3. समस्त सहायक सचिव/अनुभाग अधिकारी, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
4. समस्त जिला प्रबन्धक, पुस्तक वितरण, सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
5. अनुभाग अधिकारी (IT Cell) हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड को website पर upload करने हेतु।
6. लोक सम्पर्क अधिकारी, स्कूल शिक्षा बोर्ड को इन निर्देशों के साथ प्रेषित है कि वह इस अधिसूचना को तीन हिन्दी व तीन अंग्रेजी के समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित करें।

डॉ०(मेजर) विशाल शर्मा (हि.प्र.से.)
सचिव